<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

दांडिक प्रकरण क :- 97 / 11 संस्थापन दिनांक:--19 / 04 / 11 फाईलिंग नं. 233504000582011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी, आमला (सामान्य), जिला—बैतूल (म.प्र.)

...... <u>अभियोजन</u>

वि रू द्व

- संतोष पिता रामदयाल धुर्वे, उम्र 25 वर्ष निवासी बंजारी ढाल, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- मधु पिता भोपत, उम्र ४९ वर्ष निवासी तोरणवाड़ा, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 3. मूसू पिता हरचंद नरवरे, उम्र 75 वर्ष निवासी गणेश चौक पाथाखेड़ा सारणी, थाना सारणी, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्तगण

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 29.08.2017 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध म.प्र. वनोपज व्यापार अधिनियम 1969 की धारा 5(1) की धारा 16 के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 16.09.2010 को स्थाना कोहपानी मार्ग में द्रेक्टर क. एमपी—48—एम—2143 से विनिर्दिष्ट वन उपज सागौन चरपट 66 नग 2.142 घन मीटर का परिवहन किया।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 16.09.2010 बीट गार्ड पचामा देवीराम उइके को सूचना मिली कि ग्राम पहावाड़ी से द्रेक्टर सागौन लकड़ी ग्राम होहवानी होते हुए आ रही है। जिस पर बीट गार्ड पचामा द्वारा बरम्, कन्हड़गांव समिति अध्यक्ष, सदस्य, मोवाड़ के भूतपूर्व सरपंच को साथ

लेकर द्रेक्टर रोकने हेतु कन्हड़गांव निमझरी जोड़ मार्ग पर पत्थर एवं ड्रम रखकर मार्ग अवरूद्ध किया। इसी बीच अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन पर सूचना दी गयी कि द्रेक्टर वापस कोहवानी तरफ जा रहा है। तब बीट गार्ड पचामा द्वारा मोटर सायिकल से द्रेक्टर का पीछा किया गया। ग्राम कोहवानी के पास द्रेक्टर हनुमान मंदिर के पास मिला। बीट गार्ड देवीसिंह द्वारा द्रेक्टर को रोकने का प्रयास किया गया परंतु द्रेक्टर ड्रायवर द्वारा द्रेक्टर नहीं रोका गया तथा तेज गित से द्रेक्टर चलाकर बीट गार्ड की मोटर सायिकल को टक्कर मार दी। द्रेक्टर द्वारा बीट गार्ड पचामा की मोटर सायिकल क. एमपी—48—बीबी—0450 को पूर्ण रूप से कुचल दिया गया। द्रेक्टर पर 3—4 आदमी थे जो द्रेक्टर छोड़कर अंधेरे में भाग गये। द्रेक्टर एवं द्राली पर कोई नंबर अंकित नहीं था। द्रेक्टर द्राली पूर्ण सागौन चरपट से भरी थी। गश्ती दल के अन्य स्टाफ मौके पर पहुंचे। तत्पश्चात मौके का पंचनामा बनाया गया। जप्ती माल की सूची तैयार की गयी। घटना का मौका नक्शा बनाया गया। तत्पश्चात पीओआर क. 565/27 पंजीबद्ध किया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर उनके बयान लेख किये गये। विवेचना पूर्ण कर परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या अभियुक्तगण ने घटना, दिनांक व स्थान पर द्रेक्टर क. एमपी—48—एम—2143 से विनिर्दिष्ट वन उपज सागौन चरपट 66 नग 2.142 घन मीटर का परिवहन किया?
- 2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01 का निराकरण

5 देवीराम उइके (अ.सा.—4) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह दिनांक 16.09.2010 को बीट गार्ड के पद पर पचामा बीट में पदस्थ था। उक्त दिनांक को सूचना मिलने पर वह चौकीदार बरमू के साथ कन्हड़गांव आया, वहां पर वन समिति के अध्यक्ष को साथ में लिया, कन्हड़गांव रोड पर पत्थर से रोड जाम कर दिया। साक्षी ने आगे यह बताया है कि जिसके द्वारा

सूचना दी गयी थी उसका पुनः से फोन आया और उसने सूचना दी कि जो देक्टर चरपट लेकर आने वाला था वह वापस हो गया है। पुनः से दूसरी सूचना मिलने पर उसके द्वारा मोटर सायिकल से द्रेक्टर का पीछा किया गया। द्रेक्टर रोकने के लिए कहा गया परंतु द्रेक्टर नहीं रूका और द्रेक्टर चालक द्रेक्टर को चलता छोड़कर भाग गया और द्रेक्टर उसकी मोटर सायिकल पर चढ़ गया। बरमू (अ.सा.—6) ने यह बताया है कि उसे फोन करके कोहवानी में बुलाया गया था। फिर वह देवीराम उइके के साथ मोटर सायिकल पर बैठा परंतु उसे रास्ते में छोड़ दिया गया और देवीराम उइके कोहवानी अध्यक्ष के साथ निकल गये। जब वह पैदल—पैदल कोहवानी पहुंचचा तो देखा कि द्रेक्टर मौके पर खड़ा था। उसने देखा कि द्रेक्टर में 66 चरपट थी।

6 जुगल किशोर (अ.सा.—1) ने यह बताया है कि उसे रक्षा समिति के सचिव देवीराम ने खबर दिया था कि समिति के सदस्यों को लेकर आओ तो वह मौके पर पहुंचा था। उसने देखा था कि द्रेक्टर के नीचे मोटर सायिकल फंसी है। द्रेक्टर में तिरपाल बंधा हुआ था जिसमें सागौन की 60—65 चरपट रखी हुई थी। सुमरिसंह (अ.सा.—2) ने यह बताया है कि वह वन विभाग के देवीिसंग के साथ कोहवानी गांव गया था, वहां पर द्रेक्टर द्राली खड़ा था। द्रेक्टर वाले मौके से भाग गये थे। द्रेक्टर के अंदर उसने 70 सागौन के चरपट देखे थे। फिरोज अहमद (अ.सा.—3) ने यह बताया है कि वह घटना के समय परिक्षेत्र सहायक मोवाड़ के पद पर पदस्थ था। वह फ्लाईंग स्कार्ट से गश्ती कर रहा था तभी बीट गार्ड से यह खबर मिली कि कोहवानी रोड से एक द्रेक्टर निकलने वाला है जिसमें सागौन की लकड़ियां है। सूचना पर वह मौके पर गया तो देखा कि बीट गार्ड देवीराम उइके की गाड़ी पड़ी हुई थी और ट्रेक्टर खड़ा हुआ था।

7 फिरोज अहमद (अ.सा.—3) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि मौके पर उसके द्वारा देक्टर का मुआइना कर पंचनामा (प्रदर्श पी—1) तैयार किया गया, नक्शा मौका (प्रदर्श पी—4) एवं देक्टर के वाहन मालिक दशरथ को बुलवाकर उसका पंचनामा (प्रदर्श पी—5) तैयार किया गया। वाहन मालिक द्वारा यह बताया गया कि देक्टर अभियुक्त मूसू को बेच दिया गया है तब मूसू के घर का पंचनामा (प्रदर्श पी—6) तैयार किया गया। देवीराम उइके (अ.सा.—4) ने यह बताया है कि उसके द्वारा देक्टर क. 54775 ई/एन 33500 चेचिस नं. 2—219सीएचएमटी जप्ती की कार्यवाही कर जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी—12) एवं मौके का पंचनामा (प्रदर्श पी—1) बनाया गया। लकड़ी का नापजोप कर सूची (प्रदर्श पी—13) तैयार की गयी।

8 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी सुखराम (अ.सा.—5), कोदू (अ.सा.—6) एवं अमरलाल (अ.सा.—7) ने यह बताया है कि उन्हें वन विभाग वालों ने यह बताया था कि संतोष वगैरह ट्रेक्टर में लकड़ियां लेकर आ रहे हैं परंतु उन्होंने ट्रेक्टर में लकड़ियां नहीं देखी थी। रेंजर आफिस में उनको बुलाया गया था उन्होंने कागजों में हस्ताक्षर किये थे परंतु किस बात के हस्ताक्षर लिये गये थे उन्हें जानकारी नहीं है। उपर्युक्त साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्नन्यायालय द्वारा पूछे जाने पर साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। अतः उपर्युक्त साक्षियों की साक्ष्य से अभियोजन को कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

- 9 देवीराम उइके (अ.सा.—4) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसके द्वारा मोटर सायकिल से ट्रेक्टर को रोका गया था परंतु ट्रेक्टर चालक भाग गये थे। उसके द्वारा नहीं देखा गया था कि ट्रेक्टर में कौन था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि मौके पर उसे कोई नहीं मिला था। उसके द्वारा अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पीओआर तैयार किया गया था। मात्र जप्तशुदा माल का पंचनामा तैयार किया गया था। साक्षी ने यह भी बताया है कि उसने अभियुक्तगण को नहीं देखा था न ही उन्हें पहचाना था। उसे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि लकड़ी कहां से आयी थी, किस जंगल से काटी गयी थी।
- 10 फिरोज अहमद (अ.सा.—3) ने यह बताया है कि वह जब मौके पर पहुंचा तब उसने ट्रेक्टर देखा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि मौके पर रक्षा समिति के सदस्यों और वन विभाग के कर्मचारियों के अलावा कोई नहीं था। इस सुझाव को सही बताया है कि मौका नक्शा (प्रदर्श पी—4) दो कागजों को जोड़कर बनाया गया है। साक्षी ने यह भी बताया है कि जब सागौन की लकड़ियों की जप्ती की जा रही थी तब ट्रेक्टर के आसपास कोई भी अभियुक्त को नहीं पाया था। इस सुझाव को सही बताया है कि जप्त सागौन की लकड़ियां किसकी थी उसे इस बात की जानकारी नहीं है।
- विराम उइके (अ.सा.—4) ने मौके पर सूचना मिलने पर चौकीदार बरमू के साथ जाना बताया है परंतु बरमू (अ.सा.—6) ने यह बताया है कि वह मौके तक देवीराम के साथ नहीं पहुंचा था, पैदल—पैदल पहुंचा था। देवीराम उइके सबसे पहले मौके पर पहुंचा था परंतु इस साक्षी ने किसी भी अभियुक्त को मौके पर नहीं देखा और न ही उनकी पहचान व्यक्त की है। कितने लोग देक्टर में थे यह भी इस साक्षी के द्वारा नहीं बताया गया है। देक्टर को छोड़कर भागने वाले लोगों को पकड़ने के प्रयास हेतु उक्त साक्षी के द्वारा कोई कार्यवाही की गयी हो ऐसा प्रकट नहीं हो रहा है। साक्षी देवीराम, फिरोज अहमद एवं साक्षी बरमू ने इस बात की अनभिज्ञता प्रकट की है कि लकड़ियां किसकी हैं, कौन लेकर आया, कहां से लेकर आया। जब लकड़ियां जप्त की गयी तब वाहन द्वेक्टर में कोई भी नहीं था।

12 जुगलिकशोर (अ.सा.—1) ने यह बताया है कि जब वह मौके पर पहुंचा था तब द्रेक्टर में तिरपाल बंधा हुआ था। उसके अंदर 60—65 चरपट थी। मौके पर ही देवीराम उइके ने लकड़ियां जप्त कर मौका पंचनामा तैयार कर लिया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि द्रेक्टर किसका था। मौके पर अभियुक्तगण नहीं मिले थे। इसी पैरा में साक्षी ने यह बताया है कि वन विभाग वालों ने क्या कार्यवाही की उसे नहीं मालूम उसके केवल हस्ताक्षर लिये गये थे। सुमरिसंह (अ.सा.—2) ने मुख्य परीक्षण में द्रेक्टर द्राली के अंदर 70 सागौन के चरपट होना बताया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि उसे मौके पर एक भी अभियुक्त नहीं मिला था। उसे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि लकड़िया किसकी थी और कौन लेकर जा रहा था।

नक्शा मौका (प्रदर्श पी-4) के अवलोकन से यह स्पष्ट दर्शित हो रहा है कि गवाहों के हस्ताक्षर का कागज पृथक से चिपकाया गया है। साथ ही (प्रदर्श पी-4) के अवलोकन से यह भी प्रकट हो रहा है कि यह नक्शा मौका ६ ाटना दिनांक को बनाया गया जिस पर पीओआर नंबर लेख है। साथ ही उपर दिनांक 16.09.2010 लेख है एवं इस नक्शे मौके पर नीचे पृथक से जो हस्ताक्षर का कागज चस्पा किया गया है उस पर दिनांक 21.09.2010 लेख है तथा दोनों कागजों पर अलग–अलग स्याही का उपयोग किया जाना दर्शित हो रहा है। स्पष्टतः पीओआर की कार्यवाही के बाद मौका पंचनामा तैयार किया गया। उपर्युक्त परिस्थितियों मौके की कार्यवाही एवं जप्ती को अत्यन्त संदेहास्पद बनाती हैं। इसके अतिरिक्त अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि जब द्रेक्टर को जिस पर सागौन की चरपट थी उसे रोकने का प्रयास किया गया तब उस द्वेक्टर में कितने लोग सावर थे। साक्षी देवीराम उइके के द्वारा मात्र यह बताया गया है कि द्वेक्टर चालक को द्वेक्टर रोकने के लिए कहा गया परंतु उसने द्वेक्टर नहीं रोका और भाग गया। वाहन द्वेक्टर अभियुक्त मूसू नरवरे का था परंतु यह स्थापित नहीं हो पाया है कि घटना के समय द्रेक्टर पर अभियुक्त मूसू नरवरे था या नहीं। अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह दर्शित हो कि घटना के समय ट्रेक्टर पर अभियुक्त संतोष एवं मधु थे। किसी भी अभियुक्तगण की पहचान सुनिश्चित नहीं हो पायी है। मौके पर किसी भी अभियुक्त के आधिपत्य से सागौन की चरपट जप्त नहीं की गयी है। तत्काल पश्चात फरारी पंचनामा भी नहीं बनाया गया है। ऐसी परिस्थितियों में जप्ती की कार्यवाही तथा अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

- 14 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर ट्रेक्टर क. एमपी—48—एम—2143 से विनिर्दिष्ट वन उपज सागौन चरपट 66 नग 2.142 घन मीटर का परिवहन किया। फलतः अभियुक्तगण संतोष, मधु एवं मूसू को म.प्र. वनोपज व्यापार अधिनियम 1969 की धारा 5(1) की धारा 16 के आरोप में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- 15 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 16 प्रकरण में जप्तशुदा 66 नग सागौन की चरपट एवं जप्तशुदा एचएमटी द्रेक्टर जिसका चेचिस नं. 34775, इंजिन नं. 43500 मय द्राली वन परिक्षेत्र आमला की अभिरक्षा में है। वन विभाग के नियमानुसार जप्तशुदा सागौन चरपट एवं उपर्युक्त वाहन द्रेक्टर का निराकरण किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार संपत्ति का निराकरण किया जावे।
- 17 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)